मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

पीठासीन अधिकारी :- शैलेष सुराणा (RAS)

उनवान

श्री मणीलाल पिता रूपा मीणा, निवासी दामातातालाब, तहसील ऋषभदेव **बनाम** श्री शंकर पिता रूपा मीणा वगैराह, निवासी दामातालाब, तहसील ऋषभदेव

दावा बाबत :- धारा 88-188, RT ACT 1955
सपठित धारा 136 RLR ACT1956

मुकदमा नम्बर :-05/2016

निर्णय दिनांक :-23.06.2016

वादीगण की ओर से **श्री मणीलाल** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री शंकर पिता रूपा मीणा** वगैराह की उपस्थिति में इस वाद में आज **तारीख 23.06.2016** को **शैलेष सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – मौजा दामातालाब में वादी को वर्ष 2006 में आ.न. 1225 में आवंटित 0.10 हेक्टेयर रकबे के मुकाबले राजस्व रेकार्ड में कम दर्ज हुए 0.03 हेक्टेयर रकबे को राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज बिलानाम आ.न. 2093/1225 कुल रकबा 0.10 हेक्टेयर में से कम किया जाकर वादी के खाते में दर्ज वादग्रस्त आराजी नंबर 1225 हाल रकबा 0.07 हेक्टेयर में जोडा जावे। अर्थात वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 171 में वादी के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी नंबर 1225 का कुल रकबा 0.07 हेक्टेयर की बजाय 0.10 हेक्टेयर दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख **23.06.2016** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

23/06/16

(शैलेष सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	06.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ______रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	04.00		
जोड	12.00	जोड	0.00